संख्या-19/2015/839/क0नि0प्र0/26-3-15-7(98)/2007

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग लखनऊ:दिनांक: 28 जुलाई,2015

विषयः- उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-743/लेखा/बजट/2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 70,00,000.00 (रू0 सत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

3- प्रदेश के सभी जनपदों में उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित समस्त योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम का संचालन शासन की नीतियों एवं नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। प्रश्नगत योजना के संचालन में यदि कोई वित्तीय अनियमितता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बरती जाती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

4- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्क है। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या–83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0113-उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित योजना के प्रचार-प्रसार/जागरूपकता कार्यक्रम (के.100/रा.0-के.)-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-/925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

दीनानाथ
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/2015/839(1)/क.नि.प्र./26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।

2- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।

4- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0शासन।

5- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।